


२६<sup>०६</sup>/<sub>२५</sub>

पत्रावली पेश हुई। ~~वक्त~~ आमि० वाकी अनुपस्थित।  
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार रुक-रुक कर  
आवाज लगाई गई लेकिन कोर्ट भी उपस्थित नहीं  
हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश ०९ R  
४ CPC अद्वय हाजिरी अद्वय पैरवी में स्वारिज  
किया जाता है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर  
नम्बर से कम होकर वाद तामील तकमील  
दाखिल हफ्तवर है।



  
२६/६/२५  
जयपुर जिला न्यायालय  
पिडावा, जिला जयपुर (राज०)